<u>बिहार सरकार</u>

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 304622 पटना, दिनांक 20.03.2017

ग्रा0वि09(थ0)ई0पी0एफ0-84/2010

प्रेषक,

श्री अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) संगठन की सदस्य बनाने के संबंध में दिशा निदेश ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय जिलों से मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) में अंशदान की कटौती के संबंध मार्गदशन मांगा गया है ।

विदित हो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सूचित किया गया है कि संगठन द्वारा कर्मचारी सदस्यता अभियान 2017 लाया गया है जिसके तहत दिनांक 31.03.2017 तक नियोक्ता वैसे कर्मियों की स्वैच्छिक घोषणा कर सकते है, जो कि भविष्य निधि के तहत आवृत होने की पात्रता रखते है, किन्तु उन्हें सदस्यता नहीं दी जा सकी है ।

नियोक्ता 01.04.2009 से 31.12.2016 के बीच ई0पी0एफ0 की सदस्यता से वंचित कर्मचारियों (जीवित) को भी कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) की सदस्यता प्रदान की जा सकती है ।

इस अभियान के तहत घोषित कर्मचारियों के अंशदान यदि नियोक्ता द्वारा नहीं काटा गया है तो उसे पूर्णत: माफ कर दिया गया है ।

ऐसे घोषित कर्मचारियों के मामले में दाण्डिक हर्जाना सलाना 1/- रूपये प्रति वर्ष देय होगा ।

योजना के तहत घोषित किये गये कर्मचारियों का अंशदान 15 दिवस के अन्दर जमा किया जाना है ।

इस योजना के तहत घोषित तथा जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं होगा ।

इस क्रम में सम्यक विचारोंपरांत निर्णय लिया गया है कि-:

1. **<u>वैसे कर्मियों जिनका ई0पी0एफ0 कटौती के लिए खाता नहीं खोला गया है:-</u>**
   (क) मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना अंतर्गत कार्यरत वैसे संविदा कर्मियों (01.04.2009 से 31.12.2016 के बीच ई0पी0एफ0 की सदस्यता से वंचित कर्मचारियों (जीवित)) जिनका मानदेय 15000 रूपये प्रतिमाह या उससे कम हो, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident

Fund) का सदस्य बनाकर ऑनलाइन खाता खुलवाकर मानदेय से नियमित रूप से नियमानुसार प्रतिमाह अंशदान की कटौती कर साथ ही नियोक्ता का अंशदान खाता में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(ख) उपरोक्त अभियान के तहत सदस्य बनाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये Declaration Form (सुलभ प्रसंग के लिए प्रति संलग्न) में कर्मियों विवरण भर कर समर्पित किया जाना है । यूनिवर्सल एकाउन्ट के प्राप्ति हेतु Declaration Form के कालम 4, 5, 6, 7 एवं 8 का भरा जाना अनिवार्य है ।

(ग) सदस्यता बनाने के क्रम में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रिय कार्यालय/ उप क्षेत्रिय कार्यालय पटना/ मुजफ्फरपुर/ भागलपुर से तथा बेवसाइट www.epfindia.gov.in से संपर्क किया जा सकता है ।

2. **वैसे कर्मियों जिनका ई0पी0एफ0 कटौती के लिए खाता खोला गया है परन्तु कटौती नहीं की गई है उन कर्मियों को :-**

उपरोक्त अभियान का लाभ उठाते हुए दिनांक 31.03.2017 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये Declaration Form (सुलभ प्रसंग के लिए प्रति संलग्न) में कर्मियों विवरण भर कर अंशदान की कटौती प्रारंभ कर दी जाय ।

जिम्मेवार पदाधिकारी द्वारा ससमय अंशदान की कटौती एवं जमा नहीं किये जाने पर यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दंड अधिरोपित किया जाता है तो इसका सारा उत्तरदायित्व संबंधित पदाधिकारी की होगी ।

उपरोक्त तथा दिनांक 02.02.2017 को भविष्य निधि भवन, पटना में जिला से आये प्रतिनिधियों को ई0पी0एफ0 कटौती एवं जमा किये जाने संबंधी कठिनाईयों के निराकरण हेतु दिये गये निदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

17/3/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।

पत्रांक 304622 पटना, दिनांक 20.03.2017

ग्रा0वि09(थ0)ई0पी0एफ0-84/2010

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सचिव। 17/3/2017

Name & Address of Factory / Establishment ______________________

Code No. of Factory/ Establishment ______________________

Sl. No.	**Account No.**	UAN	Name of the employee	Father's Name (or Husband's name in case of married women)	Date of Birth	Sex	Date of eligibility for membership under E.P.F. Scheme, 1952	Remarks (previous Account No. & particulars of previous service if any)

Declaration Form for Employees' Enrolment Campaign, 2017.

Return about the employees who were required or entitled to become members of the fund for the period begining the 1st day of april, 2009 and ending the 31st day of December, 2016 but were not enrolled as members for any reason.

Name & Address of Factory / Establishment ______________________________

Code No. of Factory/ Establishment ______________________________

Sl. No.	Account No.	UAN	Name of the employee	Father's Name (or Husband's name in case of married women)	Date of Birth	Sex	Date of eligibility for membership under E.P.F. Scheme, 1952	Remarks (previous Account No & particulars of previous service if any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

I hereby declare that the above mentioned employees are alive on the date of marking this declaration and they were required and entitled to become members of the fund from the dates indicated against their names but could not be enrolled as members. I further declare that Form-11 from each of the above mentioned employees has been obtained duly signed or with thumb impression by the employee.

I hereby undertake that if the employee's Contribution for any month has bee deducted from the wages of any of the above mentioned employees, the same shall also be deposited by me along with interest thereon in accordance with the provisions of Employees' Enrolment Campaign, 2017.

I also undertake to remit the contributions, interest and damages payable in respect of the above mentioned employees in accordance with the Employees' Enrolment Campaign, 2017

Dated......................2017

Signature of the Employer or other authorised
Official of the Factory / Establishment

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय, भविष्य निधि भवन, आर० ब्लॉक, रोड नं०-6, पटना-800 001
दूरभाष / Phone: 0612-2227139 2227410 Fax 0612 2506632
E-mail: ro.patna@epfindia.gov.in

कर्मचारी सदस्यता अभियान - 2017

- यह योजना 01-01-2017 से 31-03-2017 तक लागू रहेगी जिसमें नियोक्ता वैसे कर्मियों की स्वैच्छिक घोषणा कर सकते है, जो कि भविष्य निधि के तहत् आवृत होने की पात्रता रखते है, किन्तु उन्हें सदस्यता नहीं दी जा सकी है।
- इस अभियान के तहत् नियोक्ता 01-04-2009 से 31-12-2016 के बीच ई० पी० एफ० की सदस्यता से वंचित कर्मचारियों (जीवित) को क० भ० नि० अधिनियम के उक्त अभियान के तहत् घोषित कर सकते हैं ।
- इस अभियान के तहत् घोषित कर्मचारियों के अंशदान यदि नियोक्ता द्वारा नहीं काटा गया है तो उसे पूर्णत: माफ कर दिया गया है।
- ऐसे घोषित कर्मचारियों के मामले में दाण्डिक हर्जाना सलाना 1/- रूपये प्रति वर्ष देय होगा ।
- योजना के तहत् घोषित किये गये कर्मचारियों का अंशदान 15 दिवस के अन्दर जमा किया जाना है।
- इस योजना के तहत् घोषित तथा जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर कोई प्रशासनिक शुल्क देय नही होगा ।
- इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत् आने वाले वैसे कर्मचारियों जो कि 01-04-2016 से EPF की सदस्यता प्राप्त किये है उनका नियोक्ता अंशदान 8.33% (पेंशन अंशदान) का वहन अगले तीन सालों तक सरकार करेगी।
- अत: सभी पात्र कर्मचारियों एवं नियोक्ता से अपील है कि वे इस योजना का लाभ उठायें।
- इस योजना का लाभ धारा 7ए/ एवं पैरा 26बी० के तहत चल रहे मामलों में प्राप्त नहीं होगा ।

अधिक जानकारी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पटना कार्यालय या website: www.epfindia.gov.in से प्राप्त कर सकते है।